परिचयात्मक मदें

ई सी :14:01	अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक को व्यवस्थित कहा जाना

कार्यवृत्त

बैठक का कोरम पूरा होने पर अध्यक्ष महोदय ने संक्षिप्त स्वागत भाषण के पश्चात बैठक के व्यवस्थित होने की घोषणा की तथा सचिव कार्यसूची मदों के साथ कार्यवाही आरंभ करने को कहा ।

ई सी :14:02	निधन सूचना

कार्यवृत्त

सदन को निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की हाल में हुई मृत्यु की दुःखद सूचना से अवगत करवाया गया:

1. श्री एस आर खानरा, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व चिकित्सा अधीक्षक, दार्जीलिंग जिला अस्पताल, जिनकी मृत्यु दिनांक 03.05.2012 को हुई ।

सदन ने उनकी मृत्यु के प्रति संवेदना के रूप में दो मिनट का मौन रखा ।

ई सी :14:03	उप कुलपति द्वारा कार्य निष्पादन उल्लेख

कार्यवृत्त

उपकुलपति नेसदन को सूचित किया कि एक संस्थापक उपकुलपति के तौर पर उन्होंने जुलाई 2007 में विश्वविद्यालय के शुभारंभ से ही प्रत्येक बैठक के आरंभ में ही सदस्यों के समक्ष वर्तमान में की जा रही विभिन्न गतिविधियों पर प्रस्तुतीकरण देने का कार्याभ्यास बना रखा है । इसका अभिप्राय सदस्यों के विश्वविद्यालय द्वारा अपनी दीर्घावधि विजन को परिपूर्ण करने की दिशा में घटनाओं से अवगत करवाया जाना है । उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस परंपरा का शैक्षणिक परिषद एवं वित्त समिति की बैठकों में भी कड़ाई से अनुसरण किया जाता है ।

प्रो0 अतुल शर्मा ने संस्थापक उपकुलपति प्रो0 महेंद्र पी लामा को विश्वविद्यालय प्रणाली में अपने कार्यकाल की अल्पावधि में ही सर्वोत्तम कार्याभ्यासों एवं नवीकरणीय विचारों को लागू करने के लिए बधाई के प्रति एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । सदन ने भी प्रोफेसर लामा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय द्वारा की गई धीमी परंतु पर्याप्त सर्वतोमुखी प्रगति पर अत्याधिक संतुष्टि व्यक्त किया । सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अंगीकृत किया तथा प्रोफेसर लामा के प्रत्येक प्रयासों की प्रशंसा की ।

समूह - I अनुमोदनार्थ मदें

ई सी :14:04	कार्यकारी परिषद की दिनांक 21.04.2012 को आयोजित 13वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यवृत्त

सदन ने कार्यकारी परिषद की दिनांक 21.04.2012 को आयोजित 13वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया तथा इसकी पुष्टि की एवं अनुमोदन किया ।

ई सी :14:05	कार्यकारी परिषद की दिनांक 21.04.2012 को आयोजित 13वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

कार्यवृत्त

कार्यकारी परिषद की दिनांक 21.04.2012 को आयोजित 13वीं बैठक में चर्चा की गई प्रत्येक मद पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई । सदन ने इसे अनुमोदन के साथ नोट किया ।

ई सी :14:06	नियमित आधार पर भर्ति किए गए कर्मचारियों द्वारा लिईन प्रतिधारण पर विनियम

कार्यवृत्त

सदन ने नियमित आधार पर भर्ति किए गए कर्मचारियों द्वारा लिईन प्रतिधारण पर ड्राफ्ट विनियम का अनुमोदन किया तथा इसके तत्काल अनुपालन का निर्देश दिया ।

ई सी :14:07	कर्मचारियों की परीविक्षा अवधि की समाप्ति की घोषणा पर विनियम

कार्यवृत्त

सदन ने कार्यसूची मद पर और अधिक चर्चा एवं मामले के पुनरीक्षण हेतु विलंबित करने का सुझाव दिया ।

ई सी :14:08	सिक्किम विश्वविद्यालय का प्रथम वर्ष पंचक

कार्यवृत्त

सदन ने प्रेक्षण किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय ने पांच वर्षों के आरंभिक कार्यकाल में तथा शैशव अवस्था में राज्य एवं आस पास के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने में उत्कृष्ठता की विशिष्ठ उंचाई प्राप्त किया है । इन पांच वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय की बहुआयामी यात्रा के चित्रण हेतु सदन ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय पर एक फिल्म का निर्माण करना शानदार विचार होगा । सदन ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय पर एक फिल्म नवस्थापित विश्वविद्यालयों के लिए विविध प्राविधियों एवं पद्धतियों से सज्जित होने में विश्वविद्यालय निर्माण की प्रक्रिया के दौरान एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्त प्रेक्षणों के साथ, सदन ने एफ टी आई आई, पूर्ण एवं दूरदर्शन, दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय पर एक फिल्म निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

ई सी :14:09	नियमित एवं संविदाजन्य शिक्षण तथा गैर शिक्षण पदों के लिए पुनर्विज्ञापन

कार्यवृत्त

सदन ने माना कि शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों के लिए वर्तमान भर्ति के दौरान कुछ पदों को उपयुक्त अभ्यर्थियों के आभाव में नहीं भरा जा सका था । तद्नुसार सदन ने ड्राफ्ट विज्ञापन सूचना का अनुमोदन करते हुए विश्वविद्यालय को रिक्त पदों के लिए पुनर्विज्ञापन करने तथा नए आवेदन प्राप्त करने को प्राधिकृत किया ।

ई सी :14:10	यांग्यांग स्थित कैंपस विकास बोर्ड (बी सी डी वाई) के प्रति सदस्यों को नामित किया जाना

कार्यवृत्त

सदन ने सुझाव दिया कि यांग्यांग स्थित कैंपस विकास बोर्ड (बी सी डी वाई) के प्रति सदस्यों का नामाकरण, जो कि वर्तमान उपकुलपति द्वारा पहले ही किया जा चुका है, को अगले कुलपति द्वारा भी आगे जारी रखा जाए ।

ई सी :14:11	शिक्षण एवं गैर शिक्षण कार्यों पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए पारिश्रमिक का पुनरीक्षण

कार्यवृत्त

सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा सामना किए जा रहे कठिनाईयों का विधिवत् पहचान करते हुए, जिसके कारण नियमित भर्तियों का संचालन नहीं किया जा सका, निम्नलिखित प्रस्तावित पारिश्रमिक संबंधित कैडरों के प्रति अप्रैल 2012 से लागू होकर भुगतान किए जाने के लिए अगले आदेश तक अनुमोदित किया :

(क) संविदा आधार पर शिक्षकगण- ₹ 47,000 प्रति माह

(ख) गैर शिक्षण नियुक्तियां

(1) यू डी सी (सहा. कार्यकारी) स्तर : ₹ 22,500/- प्रतिमाह

(2) एल डी सी (कनि0 कार्यकारी) स्तर : ₹ 17,000/- प्रतिमाह

(3) कार्यालय सहायक : ₹ 18,250/- प्रतिमाह

ई सी :14:12	विशेष प्रतिपूर्ति (पहाड़ी क्षेत्र) भत्ता की वसूली ।

कार्यवृत्त

सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया एवं तर्क दिया कि सिक्किम विश्वविद्यालय नया होने के कारण, इसके द्वारा नेहू में लागू पद्धतियों का अनुसरण किया गया, जहां कर्मचारीगण दोनों भत्ते का आहरण करते हैं । दोनों भत्ता के आहरण पर लेखा परीक्षा आपत्तियों की दृष्टि से सदन ने अनुशंसित प्रस्तावों का अनुमोदन किया तथा विश्वविद्यालय को निम्नलिखित कार्रवाई तत्काल करने का निर्देश दिया:

(क) पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ता का आगे अर्थात मई 2012 से भुगतान निलंबित करना
(ख) अतिभुगतान किए गए संपूर्ण राशि का इसके अनुपालन की तारीख से वसूली का निर्वहन करते हुए आदेशानुसार कार्रवाई प्रारंभ करना

ई सी :14:13	अनुसंधान परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन

कार्यवृत्त

सदन ने अनुसंधान परियोजनाओं के लिए ड्राफ्ट मार्गदर्शन का अनुमोदन किया, ताकि विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निधिप्रदाय अभिकरणों के प्रति एक्स्ट्राम्यूरल अनुसंधान परियोजनाओं हेतु आवेदन करने वाले नियमित संकाय सदस्यों को सुविधा संपन्न बनाया जा सके तथा आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय द्वारा और अधिक परियोजनाएं प्राप्त करने में मदद मिल सके।

ई सी :14:14	कोर्ट महाविद्यालय विकास परिषद एवं अध्ययन बोर्डों के गठन पर सांविधि

कार्यवृत्त

सदन ने महाविद्यालय विकास परिषद, वित्त समिति एवं अध्ययन बोर्डों में से प्रत्येक के गठन पर इन प्राधिकारों की अनिवार्यता पर विचार करते हुए ड्राफ्ट सांविधि का अनुमोदन किया, ताकि विश्वविद्यालय परिदृश्य के अंतर्गत इनका प्रभावकार संचालन सुनिश्चित किया जा सके । यद्यपि, सदन ने विश्वविद्यालय के कोर्ट का गठन विश्वविद्यालय के अन्य सांविधिक समितियों के गठन होने तक विलंबित रखने का सुझाव दिया।

ई सी :14:15	परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन - "शून्य सेमेस्टर" से संबंधित खंड

कार्यवृत्त

सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत "शून्य सेमेस्टर" से संबंधित खंड पर संशोधन पर विचार किया तथा इसे अनुपालनार्थ अनुमोदित किया।

ई सी :14:16	परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन - उत्तीर्णता आवश्यकता एवं अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति से संबंधित खंड ।

कार्यवृत्त

सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत उत्तीर्णता आवश्यकता एवं अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति से संबंधित खंड पर संशोधन पर विचार किया तथा इसे अनुपालनार्थ अनुमोदन किया

ई सी :14:17	परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन - एकीकृत पाठ्यक्रमों से संबंधित नए खंड का प्रवेश

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर विचार किया तथा इनके समक्ष प्रस्तुत एकीकृत पाठ्यक्रम से संबंधित नए खंड के प्रवेश पर संशोधन का अनुमोदन किया ।

ई सी :14:18	परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन - सफल अभ्यर्थियों की श्रेणी, विशिष्टता से संबंधित उपखंड का प्रवेश।

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर विचार किया तथा इनके समक्ष प्रस्तुत सफल अभ्यर्थियों की श्रेणी, विशिष्टता से संबंधित उपखंड के प्रवेश पर संशोधन का अनुमोदन किया ।

ई सी :14:19	परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन - श्रेणी अवार्ड किया जाना तथा शीर्ष छात्र के प्रति उपाधि

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिष्ज्ञद की अनुशंसाओं पर विचार किया तथा संचयी ग्रेड प्वाईंट औसत (सी जी पी ए) में से प्रतिशतता परिकलन के आधार पर शीर्षस्थ के चयन हेतु प्रस्तावित संशोधनका अनुमोदन किया ।

ई सी :14:20	कार्यक्रम के नामावली के प्रति संशोधन - बी ए एम म संगीत

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विचार किया तथा प्रस्तावित संशोधन का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन किया । सदन ने अनुमोदित किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय के संगीत प्रोग्राम हेतु नामावली स्नातक पाठ्यक्रम के लिए बी पी ए (संगीत) एवं मास्टर पाठ्यक्रम के लिए एम पी ए (संगीत) के रूप में यू जी सी नामावली के समरूप होगा ।

ई सी :14:21	एफ फार्म सिलेबस के प्रति संशोधन : पेपर एम पी वाई 31 (पूर्वी हिमालय की जैव विविधता)

कार्यवृत्त

सदन ने एम फार्म सिलेबस: पेपर एम पी वाई 31 (पूर्वी हिमालय की जैव विविधता) के प्रति प्रस्तावित संशोधन पर विचार किया, तथा इस पत्र को 3 क्रेडिट के साथ 100 अंक का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पत्र रहित में परिवर्तित करने के लिए सहमत हुए । चूंकि यह एक सेशनल पत्र है, अत: सदन ने निम्नलिखित मूल्यांकन प्रणाली एवं भारिता पेपर एम पी वाई 31 के प्रति अनुमोदित किया :

मूल्यांकन का पैटर्न	कुल भारिता प्रतिशतता में
मध्य सेमेस्टर जांच परीक्षा	20
परियोजना रिपोर्ट	40
सेमिनार प्रस्तुतीकरण एवं मौखिक	35
उपस्थिति	05
कुल	100

ई सी :14:22	एम फार्म सिलेबस में संशोधन - पेपर एम पी वाई 33 (डिसर्टेशन) III एवं IV सेमे.।

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विचार किया तथा अनुमोदित किया कि पेपर एम पी वाई 33 का परिणाम इस पत्र के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में आवंटित 7.5 क्रेडिट के साथ चौथे एवं अंतिम सेमेस्टर की समाप्ति पर ही घोषित किया जाएगा ।

ई सी :14:23	अंडरग्रेजुएट अध्ययनों में फील्ड स्टडी: भुगतान मानदंडों में संशोधन

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विचार किया तथा इसे विश्वविद्यालय को यह निर्देश देते हुए अनुमोदित किया कि अब से आगे प्रत्येक फील्ड स्टडी समूह के शिक्षक समन्वयक/प्रभारी की ₹ 5000/- की एक समेकित राशि का भुगतान किया जाए । यद्यपि यदि किसी मूह में अधिक शिक्षक समन्वयक हों तो उनमें इस राशि का बराबर विभाजन किया जाए ।

ई सी :14:24	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट - सिक्किम सरकारी महाविद्यालय

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विधिवत् विचार करते हुए महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सत्र 2011-12 के लिए अनंतिम संबद्धता के नवीकरण हेतु अनुमति प्रदान किया ।

ई सी :14:25	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट - नाम्ची सरकारी महाविद्यालय

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विधिवत् विचार करते हुए महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सत्र 2011-12 हेतु अनंतिम संबद्धता के नवीकरण हेतु अनुमति प्रदान किया ।

ई सी :14:26	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट - सरकारी महाविद्यालय, रेनोक

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विधिवत् विचार करते हुए महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सत्र 2011-12 हेतु अनंतिम संबद्धता के नवीकरण हेतु अनुमति प्रदान किया ।

ई सी :14:27	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट - सिक्किम सरकार विधि महाविद्यालय

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विधिवत् विचार करते हुए महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सत्र 2011-12 हेतु अनंतिम संबद्धता के नवीकरण हेतु अनुमति प्रदान किया । ।

ई सी :14:28	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट- सिक्किम सरकार बी एड कॉलेज, सोरेंग

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विधिवत् विचार करते हुए महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सत्र 2011-12 हेतु अनंतिम संबद्धता के नवीकरण हेतु अनुमति प्रदान किया ।

ई सी :14:29	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट : डंबर सिंह कॉलेज

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विधिवत् विचार करते हुए महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सत्र 2011-12 हेतु अनंतिम संबद्धता के नवीकरण हेतु अनुमति प्रदान किया ।

ई सी :14:30	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट: पाकिम पैलेटिन कॉलेज

कार्यवृत्त

पाकिम पैलेटिन कॉलेज हेतु निरीक्षण समिति की रिपोर्ट शैक्षणिक परिषद के समक्ष इनकी दिनांक 19 मई 2012 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत की गइ थी, जिसमें सदन ने महाविद्यालय के कार्यनिष्पादन पर गहरी चिंता व्यक्त की थी तथा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2012-13 से गणित, रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं माइक्रोबायोलॉजी में विज्ञान व्याप्त स्नातक कार्यक्रमों पर पाठ्यक्रम को अगली अधीसूचना/अनुमति तक स्थगित करने का निर्देश दिया था ।

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर विधिवत् विचार करते हुए विश्वविद्यालय को महाविद्यालय के विरूद्ध अनुशंसित कार्रवाई आरंभ करने का निर्देश दिया ।

ई सी :14:31	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट: हिमालियन फार्मेसी संस्थान

कार्यवृत्त

हिमालियन फार्मेसी संस्थान हेतु निरीक्षण समिति की रिपोर्ट शैक्षणिक परिषद के समक्ष इनकी दिनांक 19 मई 2012 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सदन ने रिपोर्ट पर विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निरीक्षण समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को स्वीकृत किया था:

i. **एच पी आई से सिक्किम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के माध्यम से यूजीसी के प्रति 2(एफ) की मान्यता हेतु पत्र प्रेषित करने का अनुरोध किया गया ।**
ii. **ए आई सी टी ई ने एच पी आई को शैक्षणिक सत्र 2011-12 में फर्मास्युटिकल विश्लेशषण एवं गुणत आश्वासन (पी एवं क्यू ए) में 18 छात्रों के नामांकन के साथ एम.फार्म कार्यक्रम आरंभ करने के लिए पूर्व में अनुमति दी गई थी । फर्मास्युटिक विश्लेषण एवं गुणता आश्वासन (पी ए एवं क्यू ए) में यह नया पाठ्यक्रम फर्मास्युटिकल रसायन शास्त्र पाठ्यक्रम मे एम.फार्मा के बंद होने की बाध्यता के स्वतंत्र रूप से आरंभ किया जाना चाहिए ।**
iii. **एच पी आई ने एम फार्म (फर्माकोलॉजी) में 18 तक सीट वृद्धि की अनुमति दी गई है ।**
iv. **एच पी आई ने एम फार्म (फर्माकोलॉजी) में सीट वृद्धि हेतु ए आई सी टी ई के प्रति आवेदन किया है तथा ए आई सी टी ई से अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है । इस अनुरोध पर तभी विचार किया जाएगा, जबकि ए आई सी टी ई सं अनुमोदन प्राप्त हो जाए । अतिरिक्त नामांकन हेतु हॉस्टल सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता है ।**

v. **बी फार्मा द्वितीय वर्ष में डी फार्मा उत्तीर्ण छात्रों के नामांकन द्वारा पार्श्विक प्रविष्टि करकेनामांकन में कमी अथवा प्रथम वर्ष बी फार्मा में ड्रापआउट से रिक्तियों को भरा जाएगा ।**

vi. **एच पी आई को ए आई सी टी ई अधिसूचना के अनुसार रिक्त सीटों पर पार्श्विक प्रविष्टि करने की अनुमति दी गई है । यद्यपि, सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित मापदंड का पार्श्विक प्रविष्टि हेतु अनुसरण किया जाना चाहिए ।**

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया तथा एच पी आई का सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ अनंतिम संबद्धता का शैक्षणिक सत्र 2011-12 हेतु नवीकरण की अनुमति बी फार्मा एवं एम फार्मा पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्रदान की गई ।

ई सी :14:32	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट : हर्कमाया कॉलेज ऑफ एड्युकेशन

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विधिवत् विचार करते हुए महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सत्र 2011-12 हेतु अनंतिम संबद्धता के नवीकरण हेतु अनुमति प्रदान किया ।

ई सी :14:33	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट : लॉयला कॉलेज ऑफ एड्युकेशन

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विधिवत् विचार करते हुए महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सत्र 2011-12 हेतु अनंतिम संबद्धता की अनुमति प्रदान किया ।

ई सी :14:34	गणित में एकीकृत बी एस सी / एम एस सी हेतु सिलेबस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विधिवत् विचार किया तथा गणित में एकीकृत बी एस सी/ एम एस सी हेतु सिलेबस का अनुमोदन किया ।

ई सी :14:35	हिंदी भाषा एवं साहित्य में एम ए हेतु सिलेबस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विधिवत् विचार किया तथा हिंदी भाषा एवं साहित्य में एम ए सिलेबस का अनुमोदन किया ।

ई सी :14:36	रासायनिक विज्ञानों में एम फिल/ पी एच डी हेतु सिलेबस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विधिवत् विचार किया तथा रासायनिक विज्ञानों में एफ फिल/ पी एच डी हेतु सिलेबस का अनुमोदन किया ।

ई सी :14:37	भुगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में एफ फिल/ पी एच डी हेतु सिलेबस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विधिवत् विचार किया तथा भुगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में एफ फिल/ पी एच डी हेतु **सिलेबस का अनुमोदन किया ।**

ई सी :14:38	आर्थिक अध्ययन एवं आयोजना में एफ फिल/पी एच डी हेतु सिलेबस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विधिवत् विचार किया तथा आर्थिक अध्ययन एवं आयोजना में एफ फिल/पी एच डी हेतु सिलेबस का अनुमोदन **किया ।**

ई सी :10:39	पत्रकारिता एवं जनसंचार में एफ फिल/पी एच डी हेतु सिलेबस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विधिवत् विचार किया तथा पत्रकारिता एवं जनसंचार में एफ फिल/पी एच डी हेतु सिलेबस का अनुमोदन किया ।

ई सी :10:40	उदार विषयों में अंडर ग्रेज्युएट प्रोग्राम का आनर्स प्रोग्राम में रिमॉडलिंग

कार्यवृत्त

उपकुलपति ने सदन को अंडरग्रेजुएट स्तर पर आनर्स की पढ़ाई के कई लाभ के बारे में सूचित किया, जिसके लिए महाविद्यालय स्तर पर किसी प्रमुख रिस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु यह प्राप्त डिग्री में पर्याप्त रूप से मूल्यवर्धित करेगा । शैक्षणिक परिषद ने अपनी दिनांक 19.05.2011को आयोजित बैठक में योग्यता, पाठ्यक्रम संरचना, सिलेबस, संकाय नियुक्ति आदि के संबंध में निर्धारित मानदंडो के अनुपालन की शर्त पर अंडरग्रेजुएट प्रोग्रामों का आनर्स में रिमॉडलिंग के उपरोक्त

प्रस्ताव का अनुमोदन किया है । तदद्वारा सदन ने शैक्षणिक परिषद द्वारा उदार विषयों में अंडरग्रेजुएट प्रोग्रामों का आनर्स प्रोग्राम में रिमॉडलिंग हेतु सहमति प्रदत्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा विश्वविद्यालय को आगामी शैक्षणिक सत्र 2012-13 से लागू करने का निर्देश दिया ।

ई सी :10:41	सरकारी महाविद्यालय, रिनॉक में अध्ययन के नए पाठ्यक्रम लागू किए जाने का अनुरोध

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद की सरकारी महाविद्यालय, रिनॉक में निम्नलिखित नए पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2012-13 से लागू करने के लिए की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया :

i. **इलेक्टिव इंग्लिश**
ii. **गणित (आनर्स)**
iii. **सांख्यिकी (आनर्स)**

ई सी :10:42	आंतरिक गुणता आश्वासन कक्ष की स्थापना पर अध्यादेश

कार्यवृत्त

सदन को संस्थापक उपकुलपति द्वारा सुचित किया गया कि विश्वविद्यालय के प्रबंधन में शिक्षण एवं अनुसंधान दोनों में किस प्रकार उच्च गुणता के अनुरक्षण की मई उपकरणिका एवं विधियां लागू की गई है। सदन ने विश्वविद्यालय प्रबंधन में शिक्षण एवं अनुसंधान दोनों में मजबूत आंतरिक गुणता प्रबंधन की शुरूआत की सराहना की तथा इस आवश्यक परंतु बहुत दिलचस्प पहल के लिए संस्थापक उपकुलपति को बधाई दी । सदन ने आंतरिक गुणता आश्वासन कक्ष की स्थापना पर ड्राफ्ट अध्यादेश का अनुमोदन किया तथा विश्वविद्यालय को इसे सभी संबद्ध महाविद्यालयों में विस्तारित करने का सुझाव दिया ।

ई सी :10:43	युनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इग्जामिनेशन (सी आई इ ई) अर्हताओं को मान्यता प्रदान करना ।

कार्यवृत्त

सदन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ए स्तरीय डिग्री का भारतीय बोर्ड के स्टैंडर्ड 12 डिग्री के साथ समतुल्य होने की समतुल्यता प्रदान करने का अनुमोदन किया तथा अनुमति प्रदान किया कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ए स्तरीय डिग्रीधारी छात्रगण सिक्किम विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु योगय होंगें ।

ई सी :10:44	नाम्ची सरकारी महाविद्यालय में अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों को लागू करने हेतु अनुरोध

कार्यवृत्त

नाम्ची सरकारी महाविद्यालय द्वारा मानसून सेमेस्टर 2012 से विज्ञान में नए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों को लागू करने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया था । विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति ने नाम्ची सरकारी महाविद्यालयय का भ्रमण किया था तथा निरीक्षण समिति की रिपोर्ट शैक्षणिक परिषद के समकक्ष इनकी दिनांक 19.05.2012 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत की गई थी, जहां ए सी ने नोट किया था कि महाविद्यालय ने न तो शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अनुमति प्राप्त की है, और न ही इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु निकट भविष्य में मौलिक प्रयोगशाला इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की स्थिति में है । तदनुसार, प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया, परंतु इसके अनुपालन को शैक्षणिक सत्र 2013-14 तक के लिए विलंबित किया गया, जबकि संबंधित विषयों में अर्हताप्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना की शर्त पर औपचारिक अनुमति हेतु विचार किया जाएगा ।

यद्यपि, एच आर डी डी के सचिव, सिक्किम सरकार एवं ई सी के एक सदस्य ने कार्यकारी परिषद के अन्य सदस्यों से नाम्ची सरकारी महाविद्यालय के मानसून सेमेस्टर से विज्ञान पाठ्यक्रमों को लागू करने के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया गया । दीर्घ विचार-विमर्श के बाद, सदन ने एच आर डी डी के सचिव से नाम्ची सरकारी महाविद्यालय में मानसून सेमेस्टर 2012 से आंरभ किए जाने योग्य या तो भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं गणित संयोजन अथवा वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान एवं रसायन शास्त्र संयोजन के सीमित विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित विषयों में यू जी सी विनियम के अनुसार अर्हताप्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना की शर्त पर नया आवेदन देने का सुझाव दिया । सदन ने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति को पुनर्भ्रमण एवं सत्यापित करना चाहिए कि क्या महाविद्यालय द्वारा ऊपर वर्णित शर्तों का अनुपालन किया गया है, तथा रिपोर्ट को शैक्षणिक परिषद एवं तत्पश्चात कार्यकारी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए । यदि इन शर्तों का अनुपालन न किया गया हो तो सदन महाविद्यालय को ऐसा अस्थाई रूप से लागू करने की अनुमति के संबंध में अपने निर्णय पर अवश्य ही पुनर्विचार करे ।

ई सी :10:46	सिक्किम सरकारी विधि महाविद्यालय की स्थायी संबद्धता

कार्यवृत्त

सदन ने शैक्षणिक परिषद द्वारा संसुचित निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय का महाविद्यालय का एक नया निरीक्षण करने का सुझाव दिया, जिसमें महाविद्यालयों को स्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए यू जी सी अधिदेशों के संगंत मानदंडों को सम्मिलित किया जाए ।

ई सी :10:47	एस सी/ एस टी/ ओ बी सी /अल्पसंख्यक के कोचिंग हेतु यू जी सी केंद्र

कार्यवृत्त

सदन ड्राफ्ट कोचिंग फ्रेमवर्क/संहिता का अनुमोदन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्र के एस सी/ एस टी/ ओ बी सी /अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति कोचिंग प्रदान करने में किए गए सर्वोत्तम कार्य से सर्वथा प्रभावित हुआ ।

ई सी :10:48	एफ फिल/ पी एच डी पर अध्यादेश

कार्यवृत्त

सदन ने पी एच डी डिग्री प्रदान करने पर अध्यादेश साथ ही एम फिल डिग्री प्रदान करने पर अध्यादेश में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया तथा विश्वविद्यालय में इसके तत्काल अनुपालन का निर्देश दिया ।

ई सी :14:49	अग्रिम अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु समिति के गठन से संबंधित अध्यादेश

कार्यवृत्त

सदन ने "अग्रिम अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु समिति का गठन" साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा अनुभव किए जा रहे कठिनाई का विधिवत् संज्ञान लेते हुए वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में मात्र अनुपालन हेतु इसके कामचलाऊ रूपांतरण का भी अनुमोदन किया ।

ई सी :14:50	द्वितीय वित्त समिति के प्रति नामित किए जाने पर विचार

कार्यवृत्त

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की सांविधि की धारा 17(1) के अनुसार, वित्त समिति में निम्निलिखित सदस्यगण सम्मिलित होंगे, नामत :

1. **उपकुलपति**
2. **प्रो वाइस चांसलर**
3. **कोर्ट द्वारा नामित एक व्यक्ति**
4. **कार्यकारी परिषद द्वारा नामित तीन व्यक्तिगण, जिनमें से कम से कम एक कार्यकारी परिषद का सदस्य होगा एवं**
5. **विजिटर द्वारा नामित तीन व्यक्तिगण**

कार्यकारी परिषद ने अपनी दिनांक 16.03.2012 को आयोजित बैठक में, श्री सोनम वांगडी, कार्यकारी परिषद का सदस्य को ,द्वितीय वित्त समिति में अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया था ।

इसी बैठक में प्रधान सचिव(वित्त) सिक्किम सरकार एवं श्री अर्जुन स्यांगदेन, पूर्व प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक, पश्चिम बंगाल सरकार को प्रथम कार्यकारी परिषद द्वारा उक्त प्रावधानों के अंतर्गत द्वितीय वित्त समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था ।

उपरोक्त पर विचार करते हुए तथा द्वितीय कार्यकारी परिषद के गठन के साथ, सदन से सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियममें यथा निर्धारित उपबंधों के अनुसार वित्त समिति के प्रति अपने नामितों का अनुरोध किया गया था । सदन ने निम्नलिखित सदस्यों के साथ वित्त समिति के गठन का अनुमोदन किया:

क्र. सं.	नाम	पद
1.	उपकुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री सोनाम वांगडी, कार्यकारी परिषद का सदस्य	सदस्य
3.	श्री अर्जुन स्यांगदेन, पूर्व प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य
4.	वित्त सचिव, सिक्किम सरकार	सदस्य
5.	विजिटर द्वारा नामित तीन व्यक्तिगण	सदस्यगण
6.	वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव

सदन ने विश्वविद्यालय को एम एच आर डी के साथ अधिनियम में यथानिर्धारित सांविधि के अनुसार विजिटर द्वारा नामितों के नाम प्राप्त करने के लिए संपर्क करने का निर्देश दिया ।

ई सी :14:51	दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाना

कार्यवृत्त

सामान्यत: विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक पाठ्यक्रम/प्रोग्राम के सफलतापूर्वक समाप्ति पर छात्रों को एक बृहत शैक्षणिक समारोह में डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जिसे "दीक्षांत समारोह" कहते हैं। परंतु भारत में कुछ ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं, जिनमें इस उद्देश्य से दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जाता है । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ऐसा ही एक उदाहरण है।

सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम दीक्षांत समारोह 16 अप्रैल 2010 को आयोजित किया गया । भारत के महामहिम राष्ट्रपति एवं विश्वविद्यालय के विजिटर श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल की इस अवसर पर उपस्थिति थी । यह संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार के लिए एक गौरव एवं हर्ष का क्षण था, क्योंकि 30 महीने की अल्प आयु में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति का आशीर्वाद प्राप्त करने तथा ऐसे भव्य तरीके से दीक्षांत समारोह मनाने की यह पहली घटना थी।

विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित 2008-09 सत्र के करीब 223 छात्रों को इस दिन डिग्री प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया । 3 छात्रों को उनके संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम में अति विशिष्ट कार्यनिष्पादन के लिए विशेष रूप से स्वर्ण पदक भी प्रदान किए गए ।

डिग्री प्रमाण पत्र वर्ष 2009 से आगे के छात्रों के लिए अवार्ड किया जाना अपेक्षित है । विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षांत समारोह आयोजित किए जाने का प्रयास किया गया था , परंतु विभिन्न कारणों से यह आयोजित करने में असफल रहा । इस प्रकार सत्र 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 से संबंधित करीब 2133 छात्रों को डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जा सका है । छात्रों को 6 माह की वैधता के साथ अनंतिम प्रमाण पत्र उपलब्ध किया गया है । उनमें से कई सेवारत हो गए हैं तथा उनके द्वारा मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय हो गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है इससे विधिक उलझनें भी पैदा हो सकती है ।

विश्वविद्यालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या विश्वविद्यालय हेतु दीक्षांत समारोह का आयोजन प्रमाण पत्र के वितरण हेतु अनिवार्य रखा जाना चाहिए, अथवा सिक्किम विश्वविद्यालय किन्हीं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के मॉडल को अंगीकृत कर सकता है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसमें प्रमाण पत्र वितरण के उद्देश्य दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जाता है।

सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक रूप से दीक्षांत समारोह के आयोजन को, जहां तक संभव हो अनुमोदित किया तथा लंबित प्रमाण पत्रों को सफलीभूत छात्रों को प्रेषित करने का सुझाव दिया क्योंकि यह अति विलंबित था ।

ई सी :14:52	शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए भर्ति नियमावली पर अध्यादेश के प्रति संशोधन

कार्यवृत्त

सदन ने विचाराधीन प्रस्ताव को विषय की गंभीरता पर विचार करते हुए विलंबित किया, ताकि इस पर वृहत विचार विमर्श किया जा सके ।-

ई सी :14:53	नवनियुक्त शिक्षकों की विगत सेवाओं को मान्यता प्रदान करना

कार्यवृत्त

सदन ने रिपोर्ट किए गए दो शिक्षकों की विगत सेवा वर्षों के परिकलन हेतु प्रस्ताव का इस शर्त पर अनुमोदन किया गया कि वे पूर्ववर्ती नियोजन में आहरित अंतिम वेतन तथा भत्ते की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होंगे ।

समूह II संपुष्टि हेतु मदें

ई सी :14:54	सिक्किम की छात्र संघ की मांगे

कार्यवृत्त

उपकुलपति ने सदन को सिक्किम के छात्र संघ (इनके इतिहास एवं विधिक स्थिति के बारे में शायद ही कुछ ज्ञात हो) द्वारा प्रतिवाद के बारे में अवगत किया,जोकि विश्वविद्यालय के सामान्य कामकाज में अवरोध डालने का प्रयास कर रहा है । ऐसे समूह द्वारा कार्यकारी परिषद के माननीय सदस्य के प्रति हाल में अपनी मांगों के संबंध में अभ्यावेदन भी दिया गया है । विश्वविद्यालय उन अंतर्वस्तुओं की अपेक्षा ऐसे प्रतिनिधियों के अभिप्राय से अधिक चिंतित है ,जिसे विश्वविद्यालय इनके शुरुआत से ही व्यवहार कर रहा है तथा प्रभावकारी ढंग से संभाल रहा है । यह पाया गया है कि ऐसे समूह संपूर्ण मानक मापदंडों का अतिक्रमण करने के लिए संकल्पित है, तथा सभी पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रहे हैं , जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा विगत 5 वर्षों में परिश्रम से स्थापित किया गया है। यह भी देखा गया है कि इन समूहों में अत्यल्प शैक्षणिक अंतर्वस्तु है, बल्कि उनके अभिमुखीकरण एवं बातचीत दोनों में तीक्ष्ण राजनीतिक अंतर्वस्तु व्याप्त है ।

विश्वविद्यालय के इस अवस्था में अविछिन्न अभिवृद्धि हेतु आवश्यकता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए सदन ने एक उपसमिति का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित सम्मानित सदस्य सिक्किम के छात्र संघ द्वारा उठाए गए मांगों की विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के लिए सम्मिलित किए गए हैं :-

1. प्रो0 वी एन प्रसाद
2. प्रो0 आर आर राव
3. प्रो0 एस सी सिंह

उपसमिति से आगामी कार्यकारी परिषद बैठक में अपनी अनुशंसाएं प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है।

ई सी :14:55	सिक्किम राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष दर्ज अनुरोध

कार्यवृत्त

कार्यकारी परिषद ने अपने दिनांक 16 मार्च 2012 को आयोजित 12 वीं बैठक में कार्यसूची मद संख्या ई.सी:12:10 के अपने निर्णय में विश्वविद्यालय को श्री राजेंद्र प्रसाद एवं डॉक्टर मनोरंजन मिश्रा की सेवाओं को कदाचार के आधार पर समाप्त करने का निर्देश दिया था । असंतुष्ट व्यक्तिगण दिनांक 26 मार्च 2012 को श्री ओपी भंडारी, ओ एस डी (विधिक), सिक्किम सरकार के माध्यम से सिक्किम राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष उपस्थित हुए । परिवाद के दाखिल होने पर आयोग द्वारा उपकुलपति के प्रति एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उपकुलपति द्वारा पत्र प्राप्ति के चार दिनों के अंतर्गत शिकायतों के प्रति अपना प्रतिउत्तर दिया जाना था । उप कुलपति ने इन शिकायतों के प्रति दिनांक 30 मार्च 2012 को विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया ।

आयोग ने दोनों पक्षों को दिनांक 17 अप्रैल 2012 को 11:00 बजे पूर्वाहन दस्तावेजों एवं कागजातों के साथ वैयक्तिक को सुनवाई हेतु बुलाया । विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व श्री तेज थापा, सिक्किम हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील एवं उनके कनिष्ठा द्वारा किया गया ।

दोनों पक्षों कोसुनने के बाद, आयोग ने दिनांक 25 मई 2012 को सुनवाई हेतु द्वितीय तारीख निर्धारित किया। मामला अभी भी लंबित है, तथा सुनवाई की अगली तारीख आयोग द्वारा शीघ्र प्रत्याशित है।

सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा अपने सूचनार्थ नोट किया ।

ई सी :14:56	इंडस पब्लीशर्स के साथ अनुबंध - पुस्तकों का संयुक्त प्रकाशन

कार्यवृत्त

सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय द्वारा इंडस पब्लीसर्स , नई दिल्ली के अनुबंध में प्रवेश की संपुष्टि की ।

ई सी :14:57	सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, गेजिंग की संबद्धता

कार्यवृत्त

सदन ने कार्यसूची में रिपोर्ट की गई विभिनन पहलुओं पर विचार करते हुए सिक्किम सरकारी महाविद्यलय, गेजिंग की सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता की मानसून सेमेस्टर 2012 से लागू होकर संपुष्टि की ।

ई सी :14:58	डा0 सोमेंद्र नाथ चक्रवर्ती के प्रति अति विशेष छुट्टी का अनुदान

कार्यवृत्त

सदन ने विश्वविद्यालय की छुट्टी नियमावली में निर्धारित उपबंधों को स्वीकारते हुए डा0 सोमेंद्र नाथ चक्रवर्ती के प्रति अतिविशेष छुट्टी के अनुदान की संपुष्टि की ।

ई सी :14:59	शिक्षण एवं शैक्षणिक कर्मचारियों (संवीदाजन्य एवं नियमित आधार पर) की नियुक्ति /पदत्याग

कार्यवृत्त

सदन ने कार्यसूची मद में यथावर्णित शिक्षण एवं शैक्षणिक कर्मचारियों की (संविदाजन्य एवं नियमित आधार पर) नियुक्ति एवं पदत्याग को नोट किया एवं इनकी संपुष्टि की ।

ई सी :14:60	प्रबंधन कर्मचारियों (संविदाजन्य एवं नियमित आधार पर) की नियुक्ति /पदत्याग

कार्यवृत्त

सदन ने कार्यसूची मद में यथावर्णित प्रबंधन कर्मचारियों की (संवीदाजन्य एवं नियमित आधार पर) नियुक्तियों एवं पदत्याग को नोट किया तथा इनकी संपुष्टि की ।

सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु रिपोर्ट की गई मदें

ई सी :14:61	सिक्किम हाई कोर्ट में दर्ज मामले

कार्यवृत्त

सदन ने दर्ज मामलों को नोट करते हुए यह तर्क दिया कि अभियोजनकर्ताओं द्वारा अपने निहित स्वार्थों के लिए विश्वविद्यालय को बदनाम करने का यह निरर्थक प्रयास है।

ई सी :14:62	मानसून 2011 परिणामों का विश्लेषण

कार्यवृत्त

सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा मानसून सेमेस्टर 2011 के परिणामों को 18 दिनों के अंतर्गत घोषित करने में किए गए परिश्रम की सराहना की तथा इसे अपने सूचनार्थ नोट किया ।

ई सी :14:63	स्वीकृत संख्या बल एवं पदस्थापित कर्मचारियों की स्थिति

कार्यवृत्त

सदन ने विश्वविद्यालय की श्रम शक्ति स्थिति से संबंधित मामले को नोट किया ।

ई सी :14:64	विश्वविद्यालय पुस्तकालय: विशिष्ट कार्यनिष्पादन

कार्यवृत्त

सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसे अपने सूचनार्थ नोट किया ।

ई सी :14:65	सिक्किम विश्वविद्यालय शिकायत निवारण कक्ष

कार्यवृत्त

सिक्किम विश्वविद्यालय अपने प्रशासनिक स्थापना को एक पारदर्शी, जीवंत एवं कामगार-समर्थक इकाई के रुप में विकसित करने की प्रक्रियाधीन है, जहां कर्मचारियों के हितों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। एक सुंदर अभ्यास, जोकि कर्मचारियों के आत्मविश्वास एवं सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने में सहायक है, एक संरक्षित शिकायतनिवारण इकाई में निहित है, जिनके माध्यम से कार्मिकगण अपने वैधानिक चिंताओं के निवारण हेतु कार्यकारी परिषद से संपर्क करने के लिए आश्वस्त हैं । अत: ऐसी एक इकाई अर्थात सिक्किम विश्वविद्यालय शिकायत निवारण कक्ष की स्थापना प्रस्तावित है जो कि उपकुलपति को रिपोर्ट करने वाली एक स्वतंत्र इकाई के रुप में कार्य करेगी ।

सदन ने सिक्किम विश्वविद्यालय शिकायत निवारण कक्ष के गठन का, इस विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में एक अनिवार्य निकाय निर्धारित करते हुए अनुमोदन किया।

ई सी :14:66	सांविधिक अधिकारियों की सेवा के कर्तव्य, शक्तियां एवं शर्तों पर अध्यादेश के प्रति संशोधन

कार्यवृत्त

सदन ने इस कार्यसूची को समय के आभाव में तथा इस पर विस्तृत विचार-विमर्श की अनिवार्यता पर विचार करते हुए विलंबित किया ।

ई सी :14:67	वार्षिक रिपोर्ट 2011-12

कार्यवृत्त

सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसका अनुमोदन किया ।

ई सी :14:68	एडवोकेट शुल्क

कार्यवृत्त

श्री तेज बहादुर थापा की सिक्किम विश्वविद्यालयों के मामलों की पैरवी करने के लिए वरिष्ठ एडवोकेट के रूप में नियुक्ति की रिपोर्ट कार्यकारी परिषद के प्रति इन की दिनांक 21 अप्रैल 2012 को आयोजित बैठक में की गई थी । श्री थापा एवं उनका दल इन मामलों के निपटान में सिक्किम के हाईकोर्ट एवं सिक्किम राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों के समक्ष प्रशंसनीय सेवा प्रदान करते रहे हैं ।

विश्वविद्यालय द्वारा रुपये ₹ 8,065,000/- कादावा प्राप्त किया गया है, जिसमें वरिष्ठ एडवोकेट एवं उनके कनिष्ठों के लिए स्वीकार्यता शुल्क, प्रतिधारण शुल्क, खर्च प्रतिपूर्ती, लिपिकीय एवं अन्य प्रभार साथ ही उपस्थिति शुल्क सम्मिलित है। उपकुलपति द्वारा एक उपसमिति का गठन इस दावे की अन्य विश्वविद्यालयों में प्रयुक्त कार्यव्यवहार के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने के लिए किया गया है। रुपए दो लाख का एक अंतरिम भुगतान किया गया है तथा फर्म को दिए किए गए दावे का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया गया है । प्रत्युत्तर अपेक्षित है। सदन ने प्रस्ताव पर विचार तथा अनुमोदन किया।

ई सी :14:69	आंतरिक लेखा परीक्षा एवं ए जी (लेखा परीक्षा) की रिपोर्ट

कार्यवृत्त
सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया इसे अपने सूचनार्थ नोट किया ।

ई सी :14:70	वैश्विक व्याख्यान 2012: एक संक्षिप्त रिपोर्ट

कार्यवृत्त
सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया एवं इसे अपने सूचनार्थ नोट किया ।

ई सी :14:71	नामांकन परिणाम 2012

कार्यवृत्त
सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया एवं इसे अपने सूचनार्थ नोट किया ।

ई सी :14:72	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

<u>यांग्यांग स्थित कैंपस भूमि पर कार्यवृत्त</u>
सिक्किम सरकार द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रति भूमि सौंपने में दीर्घ विलंब पर एक प्रस्ताव कार्यकारी परिषद द्वारा पारित किया गया था । विजिटर, सिक्किम विश्वविद्यालय, भारत के राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद ने निम्नांकित उल्लेख किया था:

प्रथम कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 3 नवंबर,2010 को आयोजित अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, जो कि मानव संसाधन विकास विभाग के माननीय मंत्री, भारत सरकार को दिनांक 27 दिसंबर 2010 को प्रेषित किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि "सदन ने यह भी सुझाव दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से विश्वविद्यालय द्वारा अन्य विकल्पों पर विचार करने का अनुरोध किया जाए, जिसमें विश्वविद्यालय का अन्य स्थान पर पुनर्स्थापन सम्मिलित है ,यदि सिकिकम सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को अब से अगले तीन चार महीने के अंतर्गत भूमि नहीं सौंपे जाने पर ऐसा किया जाना आवश्यक हो" द्वितीय कार्यकारी परिषद ने दिनांक 21 अप्रैल 2012 को आयोजितअपनी बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया तथाइसे सिक्किम विश्वविद्यालय के विजिटर(भारत के महामहिम राष्ट्रपति) के प्रति प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया।

"कार्यकारी परिषद ने सर्वसम्मति से सिक्किम के राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाको इस प्रकारसे रोके रखने एवं व्यवहार करने परअपनी गहरी चिंता एवंअसंतुष्टि व्यक्त किया। कार्यकारी परिषद ने गहरे विषाद के साथ यह भी नोट किया कि विश्वविद्यालय द्वारा ₹ 15 करोड़ का भुगतान (विशेष सद्भावना के रूप में) कथित भूमिके अधिग्रहण हेतु चार वर्ष पूर्व किए जाने के बावजूद भी सिक्किम सरकार भूमि सौंपने में असफल रहा है ।

विश्वविद्यालय द्वारा अपने शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण कदम उठाने एवं विशाल प्रगति करने के बावजूद भी इसे गंगटोक में 10 से 15 किलोमीटर के अंतराल में 19 किराए पर लिए गए भवनों में कार्य संचालन के लिएअभिशप्त है । इसमें किराए के रूप में लोक निधि से विशाल राशि खर्च करनी पड़ती है । विश्वविद्यालय को कैंपस निर्माण हेतु 11वी पंचवर्षीय योजना के आवंटित राशि को वापस करने के लिए विवश होना पड़ा ।

सिक्किम विश्वविद्यालय के अप्रैल 2010 में प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए महामहिम, भारत के राष्ट्रपति के ठीक भ्रमण के उपलक्ष्य पर एवं क्षतिपूर्ति की विश्वविद्यालय की भागीदारी के भुगतान करने के 2 वर्ष बाद, विश्वविद्यालय को सिक्किम सरकार से पत्र प्राप्त हुआ, जिस में उल्लेख किया गया था की भूमिसौंपे जाने के लिए उपलब्धहै । अप्रैल एवं जून 2010 के मध्य विश्वविद्यालय को चार पत्र प्राप्त हुए, जिसमें विश्वविद्यालय से यांग्यांग, दक्षिण सिक्किम स्थित भूमि को ग्रहण करने के लिए कहा गया था ।

दुर्भाग्यवश, जब जब विश्वविद्यालय दल ने ग्रहण करने के लिए भ्रमण किया, उन्होंने पाया कि किसी भी भूस्वामी द्वारा क्षतिपूर्ति पूर्णरूपेण प्राप्त करने के बावजूद भी भूमि खाली नहीं किया गया था। भूमी स्थल पर अवस्थित ग्राम प्रधानों, एम एल एएवं अन्यसिविल सदस्यों से संपर्क एवं पूछताछ से ज्ञात हुआ कि भूमि खाली करने की सर्वाधिक इच्छा होने के बावजूद भी भूस्वामियों से ऐसा नहीं करने के लिए कहा गया, जब तक कि सिक्किम सरकार से कोई अनुदेश प्राप्त नहीं हो जाता है। यह बहुत ही विलक्षण स्थिति हो गई है ।

सिक्किम विश्वविद्यालय भूमि अधिग्रहण करने तथा अपने समय का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने के अत्यंत इच्छुक है । यह गहरी चिंता का विषय है कि भूमि अधिग्रहण में अब और विलंब लागत वृद्धि, भू-स्वामियों की भूमि खाली करने में अनिच्छा, क्षतिपूर्ति में बढ़ोतरी की मांग, विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में अनुभव की जा रही कठिनाईयां, कैंपस को इतने दुरस्थ स्थल पर स्थानांतरित करने में विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में प्रतिरोध एवं भूमि मूल्य में क्रमिक वृद्धि आदि गंभीर मुद्दे को जन्म देसकता है ।

इस विलंब से सिक्किम राज्य को भी अप्रत्यक्ष रुप से उस गुणता उच्चतर शिक्षा की प्राप्ति से बंचित रखता है , जो कि विश्वविद्यालय इसे कैंपस उपलब्ध हो जाने के बाद प्रदान करने के लिए इच्छुक है। सदन ने निर्णय लिया कि इस मामले को सिक्किम विश्वविद्यालय के विजिटर के साथ तत्काल उठाया जाए, ताकि सिक्किम सरकार के साथ गतिरोध को शीघ्र मिटाया जा सके । भारत सरकार को यह भी बताया जाए कि यह मुद्दा क्रमश: क्लिस्ट एवं दिनोंदिन राजनैतिक बनता जा रहा है-।

सदन ने यह भी सुझाव दिया कि सिक्किम विश्वविद्यालय के विजिटर (भारत के महामहिम राष्ट्रपति) को विश्वविद्यालय द्वारा अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए अनुरोध किया जाए, जिनमें यदिसिक्किम सरकार द्वारा अब से तीन चार महीने के अंतर्गत विश्वविद्यालय कोभूमि सौंपने में असफल रहती है, तो विश्वविद्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना सम्मिलित है।

उपरोक्त प्रस्ताव को श्री सी एस राव, सचिव, एच आर डी डी विभाग, सिक्किम सरकार को छोड़कर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

ई सी :14:73	संस्थापक उपकुलपति एवं उनके दल की कार्य निष्पादन एवं उपलब्धि की सराहना को अभिलेखित करना ।

सदन ने प्रोफेसर महेंद्र पी लामा को उनके संस्थापक उपकुलपति के रूप में 5 वर्षों के कार्यकाल की अत्यधिक सफलतापूर्वक समाप्ति पर भावभीनी प्रशस्तिदी। विश्वविद्यालय ने बिना किसी चीज के आरंभ किया था और आज विश्वविद्यालय में अधिकांश चीजें स्थापित है, इसके अंतर-शास्त्रीय एवं विलक्षण शैक्षणिक कार्यक्रम, अंतर्देशीय नामांकन नीति, बहुत ही आधुनिक सेमेस्टर प्रणाली एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली, अंतर-प्रतिक्रियात्मक वर्गकक्षा, संबद्ध महाविद्यालयों में आमूल परिवर्तन तथा गुणता प्रबंधन मापदंड एवंकार्याभ्यास देश के इस भाग में प्रमुख उदाहरण हैं। आधुनिक प्रयोगशाला सुविधाएं, पुस्तकालय में समृद्ध संग्रहण, छात्रों एवं संकाय सदस्यों की "मौखिक इतिहास""विंटर सोजर्न","अनुभवों की भागीदारी", "म्यूजियम एवं आर्काइव्ज" आदि सदृश विभिन्न नवोन्मुख अर्ध-शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यापक फील्ड अभिज्ञता।
विश्वविद्यालय का पारदर्शी, उत्तरदायित्व एवं प्रभावी प्रबंधन इस परिदृश्य में अन्य उदाहरण है। अनुसंधान कार्यक्रमों, विभिन्न व्याख्यान श्रृंखलाओं, बड़ी संख्या में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों एवं व्यवसायिकों के साथ सहभागिता आदि सभी ने इस विश्वविद्यालय में विशाल उत्साह तथा बड़ा ज्ञान भंडार लाया है । एन ई टी/ जे ई आर एम जांच परीक्षाओं में अत्यंत सफल कार्य निष्पादन साथ ही सिक्किम राज्य में संपूर्ण उच्चतर शिक्षा नीति में कायान्तरण की सर्वत्र प्रशंसा किया गया । छात्रों एवं संकाय सदस्यों की कई एक शैक्षणिकेतर गतिविधियों में भागीदारी, आपदा प्रबंधन सहित की सबने सराहना की है । उनके विशाल अवदानों में अन्य अनिवार्य अवयव एक राष्ट्रीय दल को एक साथ लाना तथा संपूर्ण विश्वविद्यालय के संचालन के प्रति इसे एक अत्यंत समर्पित,त्यागशील एवं प्रभावी सदस्यों के दल के रूप में परवरिशकरना है ।

आज यह विश्वविद्यालय विशिष्ट वैश्विक अभिमुखीकरण एवं पुरजोर स्थानीय लोकाचार तथा अंतर्वस्तु के साथ उच्चतर शिक्षण का एक राष्ट्रीय संस्थान बनने की प्रबल उत्कंठा की प्राप्ति की दिशा में द्रुतगति सेअग्रसर है । यह सब उनके तथा उनके दल के सदस्यों द्वारा वहन की गई अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी संभव हो सका । सदन ने उनकी दृढ़ता, अध्यवसाय एवं व्यवसायिक समर्पण साथ हीमिशनरी उत्साह की सराहना की, जिनके साथ उन्होंने इस नए विश्वविद्यालय के निर्माण में 5 वर्ष बिताया । कार्यकारी परिषद ने प्रोफ़ेसर महेंद्र पी लामा के प्रति उनके भविष्य में किए जाने वाले किन्हींकार्यों के लिए अपनी शुभेच्छा प्रदान किया तथा इस नए विश्वविद्यालय के लिए उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया ।

कोई अन्य मदद नहीं होने के कारण, अध्यक्ष द्वारा सम्मानीय सदस्यों को उनके बहुमूल्य सुझावों तथा इस उदीयमान संस्थान के लिए समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

सचिव
कार्यकारी परिषद
रजिस्ट्रार एवं सचिव